(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 525–तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–1–1999 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 209/अपील/1996–97.

मो0 जहूर तनय स्व0 महबूब
निवासी ग्राम गोरगांव 165, तहसील रायपुर
कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0
——— अपीलार्थी

विरूद्ध

1. शंकरदयाल शर्मा पुत्र विनायक प्रसाद
2. श्रीमती रघुनथिया बेवा सूर्यदीन
निवासीगण ग्राम गोरगांव 165, तहसील
रायपुर कचुलियान जिला रीवा
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रीवा
——— प्रत्यर्थी

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कं 1
श्री रजनी वशिष्ट, शासकीय पैनल अभिभाषक, प्रत्यर्थी कं 3

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 04/4/2017 को पारित )

यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–1–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान की अनुशंसा पर कलेक्टर रीवा ने ग्राम गोरगांव की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 1566 का अंश रकवा 0.41 ए0 कब्रिस्तान के लिए तथा शेष रकवा 0.50 ए0 शमशान के लिए सुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया। प्रत्यर्थी कमांक 1 एवं 2 द्वारा कलेक्टर के आदेश के

विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 07–1–99 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय भूमि न होकर भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि मानते हुये अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 1566 शासकीय रकवा है। अपीलार्थी के आवेदन पर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 39/अ–59/94–95 दर्ज कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के से मौके की जांच प्रतिवेदन मंगाकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की सहमति लेकर सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुये उक्त प्रतिवेदनों से सहमत होते हुये म0प्र0 भू–राजस्व संहिता संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत सर्वे कमांक 1566 रकवा 0.91 एकड़ में से रकवा 0.41 एकड़ कब्रिस्तान एवं रकवा 0.50 एकड़ शमशान भूमि घोषित किये जाने का आदेश दिनांक 19–12–95 को पारित किया गया। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर के आदेश के दो वर्ष के विलम्ब से अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा विलंब माफ हेतु आवेदन मय शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया फिर भी आयुक्त द्वारा प्रकरण में गुण–दोष पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित की भूमि विहित प्रकिया का पालन किये बिना प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रत्यर्थीगण का नाभ दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 07–1–99 द्वारा अवैध एवं अधिकारिता रहित आदेश पारित किया था। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा जाये।

4/ अनावेदक कं 1 के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि विवादित भूमि पूर्व में वद्री कुर्मी के स्वामित्व की भूमि की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 3–1–56 द्वारा प्रत्यर्थी कमांक 2 के हक में हो जाने से लगातार काबिज दखल रहे। इसके पश्चात दिनांक 21–9–82 को सूर्यदीन के नाम आवंटित कर दी गई जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया। प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है तथा

कब्रिस्तान एवं शमशासन के लिए सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। आयुक्त द्वारा अभिलेख का अध्ययन कर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं। अतः अपील निरस्त की जाकर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाये।

5/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि थी जिसे तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा कब्रिस्तान एवं शमशान के लिए सुरक्षित रखने के आदेश दिये गये थे। परन्तु आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में जनहित के विरूद्ध आदेश पारित किया है। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रश्नाधीन शासकीय भूमि को जनहित में काब्रिस्तान एवं शमशान के लिए सुरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रश्नाधीन भूमि कब्रिस्तान एवं शमशान हेतु सुरक्षित किये जाने हेतु अनुशंसा प्राप्त होने एवं ग्राम पंचायत की सहमति लेकर प्रकिया अपनाने के पश्चात कलेक्टर ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत सर्वे कमांक 1566 रकवा 0.91 एकड़ में से रकवा 0.41 एकड़ कब्रिस्तान एवं रकवा 0.50 एकड़ शमशान भूमि घोषित किये जाने का आदेश दिया है। कलेक्टर के आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। जहां तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है आयुक्त द्वारा वर्ष 1956 के विकय पत्र को आधार मानकर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय न मानकर भूमिस्वामी स्वत्व की मानी है। आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने समय की इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्तमान समय अथवा वर्ष 1956–57 के पश्चात के खसरा/खतौनी की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की, इसके बावजूद भी आयुक्त ने

तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की अनुशंसा के विपरीत प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय न मानकर रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश देने में त्रुटि की है। आयुक्त को अभिलेख का विधिवत अध्ययन कर अंतिम निष्कर्ष निकाला चाहिए था इसलिए आयुक्त का आदेश विधिसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के संबंध में अनुरोष प्राप्त करने हेतु व्यवहारवाद दायर करने लिए स्वतंत्र है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–1–99 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 19–12–1995 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर